आवश्यक
नगरपालिका आम/उप चुनाव, 2025

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - न.नि. 50-233/2022 - 2917

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।
(नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक – 27.06.2025

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 : बज्रगृह की सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग द्वारा नगरपालिका आम/ उप निर्वाचन, 2025 अन्तर्गत कराये जाने वाले निर्वाचन में मतदान उपरान्त बज्रगृह की सुरक्षा हेतु विधिक रूप से बज्रगृह को लॉक करने के अतिरिक्त **इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग करने का निर्णय बज्रगृह को बन्द किये जाने एवं खोले जाने के समय के अनुश्रवण एवं पारदर्शिता स्वरूप सभी संबंधित को 'अलर्ट' किये जाने के उद्देश्य से लिया गया है।** जिसका अनुश्रवण आयोग कार्यालय, जिला पदाधिकारी तथा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भी किया जायेगा। इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये हैं –

1. दिनांक 28.06.2025 को मतदान पश्चात सभी पदों से संबंधित बज्रगृह में इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग किया जायेगा।
2. इलेक्ट्रॉनिक लॉक जो किराये के आधार पर है, की आपूर्त्ति की जिम्मेवारी IMZ Corporate Private Limited, Software Technology Parks,Patliputra Colony,Patna- 800013 को दी गई है। जिसके राज्य स्तर पर समन्वयक श्री धीरज कुमार, मोबाईल संख्या 8448690500/ 9693409595 है।
3. IMZ Corporate Privet Ltd. के प्रतिनिधि इलेक्ट्रॉनिक लॉक को मतदान उपरान्त वज्रगृह को बन्द करने तथा मतगणना की निर्धारित तिथि एवं समय पर खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। शेष समय में उनके प्रतिनिधि जिला में ही उपलब्ध रहेंगे। जिला के प्रतिनिधि का दूरभाष प्राप्त कर लेंगे जिससे परिस्थितिवश आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है।
4. IMZ Corporate Privet Ltd. के प्रतिनिधि द्वारा इलेक्टॉनिक लॉक से संबंधित एम.आई.एस. को Epitome वेंडर द्वारा प्रत्येक बज्रगृह के बाहर अधिष्ठापित वेब कैमरा से सम्बद्ध किया जायेगा जिससे बाहर की गतिविधियों एवं ई.लॉक पर भी लाईव स्ट्रीमिंग द्वारा नजर रखी जा सकेगी। इसका लिंक पदाधिकारियों

के साथ-साथ सभी संबंधित अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराया जायगा, जो अपना मोबाईल संख्या उपलब्ध करायेंगे।

5. संबंधित अभ्यर्थियों को भी इसके संबंध में अवगत कराया जाय तथा उन्हें भी View Option उपलब्ध कराया जाय ताकि पारदर्शिता बनी रहे। **निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थियों के मोबाईल संख्या एजेंसी के कर्मी को उपलब्ध करायेंगे** जिससे अभ्यर्थी द्वारा बज्रगृह में लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक की स्थिति (लाईव स्ट्रीमिंग सहित) का अवलोकन कर सकें। विदित हो कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक का उपयोग निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बीच पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए है न कि निर्वाचन में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए।
6. उक्त कार्य हेतु बज्रगृह प्रभारी को IMZ Corporate Privet Ltd. के प्रतिनिधि से सम्पर्क करा दिया जायेगा, जो ससमय उनके साथ रहेंगे।
7. संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को अवगत कराते हुये लॉक को लगाने अथवा खोले जाने से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया का विडियोग्राफी की जाय।
8. संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के पास भी View Option रहेगा। उक्त कार्य हेतु एक पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाये जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से अनुश्रवण करेंगे एवं इसकी गतिविधि से जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत करायेंगे।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं सभी संबंधित को उक्त निदेश से अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
26/6/25
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-233/2022 - 2917 पटना, दिनांक – 27.06.2025

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

26/6/25
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-233/2022 - 2917 पटना, दिनांक – 27.06.2025

प्रतिलिपि IMZ Corporate Private Limited, Software Technology Parks,Patliputra Colony, Patna- 800013.को कार्यादेश संसूचित पत्रांक 2790 दिनांक 18.06.2025 के आलोक में संबंधित नगरपालिकाओं की सूची के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि संबंधित अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक लॉक का View Option उपलब्ध कराना सुनिश्चित वकिया जाय।

26/6/25
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-233/2022 - 2917 पटना, दिनांक – 27.06.2025

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/25
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-233/2022 - 2917 पटना, दिनांक – 27.06.2025

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/6/25
सचिव।